सं.ए.11018/30/2015-एमएच-II/एनसीडी-I

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

एनसीडी-I

अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में कनिष्ठ अनुवादक पद हेतु प्रारूप भर्ती नियम संबंधी जनसूचना।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं. एबी.14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में कनिष्ठ अनुवादक पद हेतुप्रारूप भर्ती नियम सर्वसाधारण के सूचनार्थ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति / टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टेकहोल्डर, प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने सुझाव अवर सचिव (पीएन), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 414-ए,'डी' विंग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110108 को लिखित रूप में या ई-मेल पते prem.narain68@nic.inपर भेज सकते हैं।

प्रेम नारायण

(प्रेम नारायण)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन नं: 23062032

[भारत के राजपत्र, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 2019

अधिसूचना

सा.का.नि. .... (अ) राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक समूह 'ग' भर्ती नियम, 1988 के अधिक्रमण में, जहां तक उनका संबंध अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक पद पर भर्ती की पद्ति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिकीय चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई, कनिष्ठ अनुवादक समूह 'ख' पद भर्ती नियम 2019 कहा जायेगा।

   (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. अनुप्रयोग - ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (1) के पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान-उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमानवे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता - वह व्यक्ति -

   (i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है।

   (ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू ब्यौरा विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचनी है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स लेवल	चयन पद हो या गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
कनिष्ठ अनुवादक	02* (2019) * कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' गैर राजपत्रित (सचिवालयी)	लेवल-6	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं
6	7
30 साल (केन्द्र सरकारद्वारा जारी किए गए निर्देश या आदेशके अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 साल तक छूट)	अनिवार्य: (i)मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री ; अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर परअनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप मेंहिंदी के साथ अंग्रेजी मेंमास्टर डिग्री; अथवा किसी अन्य विषय के अलावा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री।हिंदी या अंग्रेजी, हिंदी माध्यम और अंग्रेजी अनिवार्य के रूप मेंया वैकल्पिक विषय या डिग्री स्तर पर एक परीक्षा के माध्यम के रूप में; अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी विषय के अलावा किसी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से मास्टर डिग्री और स्नातक स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में; अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी विषय के अलावा किसी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में अथवा स्नातक स्तर पर दोनों में से एक विषय परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा विषय अनिवार्य विषय के रूप में; (ii)हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली के प्रयोग तथा केंद्र/राज्य सरकार / स्वायत्त निकाय/सांविधिक संगठन/पीएसयू / विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान में तकनीकी अथवा वैज्ञानिक साहित्य का अंग्रेजी से हिंदी में और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव। अथवा केंद्र/राज्य सरकार / स्वायत्त निकाय/सांविधिक संगठन/पीएसयू / विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान में हिंदी और अंग्रेजी शिक्षण अथवा हिंदी या अंग्रेजी में अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव। वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हिंदी को छोड़कर किसी एक भाषा का अध्ययन किया हो।

क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए कोई आयु और निर्धारित अवधि निर्धारित है।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण और रिक्तियों का प्रतिशत विभिन्न तरीकों से भरा जाना है।
8	9	10
लागू नहीं	दो वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा।

पदोन्नति ग्रेड द्वारा भर्ती के सीए में , जिससे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति की जानी है।	यदि पुष्टिकरण के लिए एक विभागीय समिति	जिन पदों पर भर्ती करने के लिए यूपीएससी से परामर्श किया जाना है, उनमें परिस्थितियाँ।
11	12	13
लागू नहीं।	विभागीय नियमितीकरण समिति: 1 अपर निदेशक - अध्यक्ष 2 उप निदेशक (पुनर्वास) - सदस्य 3 परामर्शदाता (एनेस्थिसिया)– सदस्य 4 संबद्ध विभागाध्यक्ष – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्शन आवश्यक नहीं।

सं.11018/30/2015-एमएच-II

प्रेम नारायण

(प्रेम नारायण)
अवर सचिव, भारत सरकार